छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 19 फरवरी, 2007

(माघ-30, शक संवत 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

सदन में वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई।

2. महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार महामहिम राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई।

महामहिम राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ।

(राष्ट्रगान जन गण मन की धुन बजाई गई।)

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया।

(राष्ट्रगान जन गण मन की धुन बजाई गई।)

महामहिम राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में दिये गये अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री विजय अग्रवाल, सदस्य द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि "महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनाँक 22, 23 एवं 26 फरवरी, 2007 की तिथियाँ निर्धारित करने तथा उक्त प्रस्ताव पर दिनाँक 20 फरवरी, 2007 के अपराह्न 3.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में संशोधन प्राप्त करने की घोषणा की गई।

4. सभापति तालिका

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

1. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
2. श्री शिवप्रताप सिंह
3. श्री सत्यनारायण शर्मा
4. श्री अघन सिंह ठाकुर
5. श्री धर्मजीत सिंह

5. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक, रविवार दिनांक 18 फरवरी, 2007 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नानुसार वित्तीय कार्य के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गईः-

	वित्तीय कार्य	निर्धारित समय
01.	वर्ष 2006-2007 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण	3 घंटे
02.	वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के	

विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु इस प्रकार का समय निर्धारण किया गया है :-

01.	मुख्यमंत्री से संबंधित मांगों के लिए	3 घंटे
02.	गृह मंत्री से संबंधित मांगों के लिए	3 घंटे
03.	पंचायत मंत्री से संबंधित मांगों के लिए	3 घंटे
04.	आदिम जाति विकास मंत्री से संबंधित मांगों के लिए	3 घंटे
05.	राजस्व मंत्री से संबंधित मांगों के लिए	3 घंटे
06.	कृषि मंत्री से संबंधित मांगों के लिए	2 घंटे 30 मिनट
07.	जल संसाधन मंत्री से संबंधित मांगों के लिए	2 घंटे
08.	स्कूल शिक्षा मंत्री से संबंधित मांगों के लिए	1 घंटा 30 मिनट
09.	राज्यमंत्री, लोक निर्माण से संबंधित मांगों के लिए	2 घंटे 30 मिनट
10.	राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांगों के लिए	1 घंटा 30 मिनट
11.	राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांगों के लिए	1 घंटा 30 मिनट
12.	राज्यमंत्री, महिला बाल विकास से संबंधित मांगों के लिए	1 घंटा

मांगों पर चर्चा के क्रम का निर्धारण अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा किया जायेगा।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मंगलवार दिनाँक 20 फरवरी, 2007 से सभा की बैठकें पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक तथा अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक रखी जायें।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक का उपस्थापन मंगलवार, दिनाँक 27 फरवरी, 2007 को अपराह्न 12.30 बजे किया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री श्यामाचरण शुक्ल, अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं श्री प्रेमसिंह सिदार, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह), नेता प्रतिपक्ष (श्री महेन्द्र कर्मा), सदस्य कु. कामदा जोल्हे, सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल, धनेन्द्र साहू, मोहम्मद अकबर,

धर्मजीत सिंह, राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल), सदस्य श्री चन्दुलाल साहू एवं संसदीय सचिव (श्री सत्यानंद राठिया) ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त जन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में अपराह्न 12.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 1, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2007

(फाल्गुन-1, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा 19 फरवरी को समझौता एक्सप्रेस में हुए बम विस्फोट में मारे गए अनेक व्यक्तियों के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह तथा नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(11.06 बजे सदन की कार्यवाही 05 मिनट के लिए स्थगित होकर 11.11 बजे पुनः प्रारंभ हुई)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 23 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05 (कुल 05) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में 20 अतारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर भी शामिल थे।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

4. अपूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नवम्बर-दिसम्बर, 2006 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गए।

5. नवम्बर-दिसम्बर, 2006 सत्र की स्थगित बैठकों से संबंधित प्रश्नोत्तरों का संकलन

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा द्वितीय विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 2006 की स्थगित बैठकों से संबंधित प्रश्नोत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

6. नियम 267-क के अधीन सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2006 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

7. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि द्वितीय विधान सभा के जूलाई-अगस्त, 2006 सत्र में पारित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंड न्यायपीठ को अपील) विधेयक, 2006 (क्रमांक 11 सन् 2006) पर महामहिम राज्यपाल महोदय की तथा नवम्बर, 2006 सत्र में पारित छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2006 (क्रमांक 19 सन् 2006) एवं छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 21 सन् 2006) पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

सचिव, विधान सभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 30-क की अपेक्षानुसार उपर्युक्त अनुमति प्राप्त विधेयक का विवरण पटल पर रखा गया।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी एवं श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने ग्रामीणों को नक्सली बताकर आत्मसमर्पण कराये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

10. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश के बीमा अस्पतालों में अव्यवस्था व दवाईयों का अभाव होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(12.54 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

11. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने बलौदाबाजार-सारंगढ़ मार्ग बदहाल होने संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

12. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

13. वर्ष 2006-2007 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2006-2007 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 21 फरवरी, 2007 की तिथि निर्धारित की।

14. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

<u>प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ठप्प होने एवं व्याप्त भष्ट्राचार से उत्पन्न स्थिति</u>

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(जारी)

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. बालमुकुन्द देवांगन

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, लच्छुराम कश्यप, रामदयाल उइके, गणेश शंकर बाजपेयी, डॉ. हरिदास भारद्वाज, एवं धर्मजीत सिंह, सदस्य।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सांय 5.05 बजे बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 2, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2007

(फाल्गुन-2, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 2 पर श्री नंदकुमार पटेल की अनुपस्थिति में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्न संख्या 3 पूर्ण जानकारी के अभाव में आगामी तिथि के लिए स्थगित किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 04 तारांकित एवं 22 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(12.01 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने केन्द्रीय जेल रायपुर में बंदियों के साथ मारपीट किए जाने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने ऐर्राबोर राहत शिविर में पानी व चिकित्सा की उचित व्यवस्था न होने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

(12.17 बजे अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 3 में सम्मिलित निम्नलिखित माननीय सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री रविन्द्र चौबे,
2. डॉ. बालमुकुन्द देवांगन

4. वर्ष 2006-2007 के तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 26, 27, 32, 38, 39, 41, 55, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर नौ सौ बासठ करोड़, अस्सी लाख, उन्तीस हजार, पांच सौ सन्तावन रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखत माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे,

(12.42 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

डॉ. सुभाऊ कश्यप,

(जारी)

(1.27 से 3.00 बजे अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, नोवेल कुमार वर्मा, कमलभान सिंह, महंत रामसुंदर दास,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री त्रिलोचन पटेल, कवासी लखमा, चन्दुलाल साहू, सियाराम कौशिक, कु. कामदा जोल्हे, श्रीमती रमशीला साहू, अमरजीत भगत, प्रीतम सिंह दीवान, उदय मुदलियार, भरत साय, भूपेश बघेल

(सदन की सहमति से कार्यसूची में अंकित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2007

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2007 का पुरःस्थापन किया।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

सांय 5.58 बजे बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 22 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 3, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरूवार, दिनांक 22 फरवरी, 2007

(फाल्गुन-3, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 23 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 तथा 09 से 13 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 8 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री राजकमल सिंघानिया अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री मोहम्मद अकबर, रविन्द्र चौबे एवं धर्मजीत सिंह, सदस्य ने बैगा आदिवासियों पर लाठी चार्ज किए जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(12.06 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस वक्तव्य दिया।

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला बस्तर में बेशकीमती कोलंबाइट अयस्क की तस्करी होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अघन सिंह ठाकुर, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2007 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.		सदस्य का नाम	समय
1.	(क्रमांक -1)	श्री उदय मुदलियार	1 घंटा 30 मिनट
2.	(क्रमांक - 9)	श्री रविन्द्र चौबे	30 मिनट
3.	(क्रमांक - 3)	श्री उदय मुदलियार	30 मिनट

श्री अघन सिंह ठाकुर, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री चंदूलाल साहू एवं श्री देवजी पटेल, सदस्य की अनुपस्थिति के कारण याचिकाएँ प्रस्तुत नहीं की जा सकीं।

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर श्री विजय अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(1.32 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए:-

श्री गुलाब सिंह, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री महेन्द्र कर्मा, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री रामदयाल उईके, श्री अमरजीत भगत, कु. कामदा जोल्हे, श्री चन्द्रभान बारमते, श्री सियाराम कौशिक, श्री बोधराम कंवर, श्री मोहम्मद अकबर, श्री धर्मजीत सिंह।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री धर्मजीत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री देवलाल दुग्गा,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, अघन सिंह ठाकुर

सांय 5.28 बजे बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 4, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

◌

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2007

(फाल्गुन-4, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 2 पर प्रश्नकर्ता श्री रविन्द्र चौबे की अनुपस्थिति में श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 05 तारांकित एवं 24 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2006-2007 के बजट की तृतीय तिमाही के आय एवं व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला कबीरधाम, विकासखण्ड सहसपुर लोहारा, ग्राम बाजार चारभाठा के एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राम विचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने बी.ई.एस.सी.एल., पुरैना, भिलाई में मजदूरों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हेमचन्द यादव, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सड़क निर्माण में वन विभाग द्वारा रोक लगाने, तथा

(2) श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, भिलाई में निर्मित क्वाटरों की मरम्मत न किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी।

(12.17 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अघन सिंह ठाकुर, उदय मुदलियार, डॉ. बालमुकुंद देवांगन

(जारी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सायं 4.00 बजे तक चर्चा एवं पश्चात् अंतिम ढाई घण्टे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित करने की घोषणा की।

(1.30 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री (डॉ.) शक्राजीत नायक, सिद्धनाथ पैकरा, रामदयाल उइके,

(जारी)

7. अशासकीय संकल्प

(1) प्रदेश के प्रत्येक जिले की कृषि उपज मंडी में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाना।

श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत विभाजन हुआ।

प्रस्ताव के पक्ष में 7 और विपक्ष में 24 मत प्राप्त हुए।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(2) भोरमदेव शक्कर कारखाने के आस-पास के क्षेत्रों में गन्ना खरीदी केन्द्र स्थापित किये जाना।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के स्थान पर अधिकृत श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवजी पटेल, मोहम्मद अकबर, डॉ. सुभाऊ कश्यप, भूपेश बघेल।

श्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने डिवीजन की मांग की।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि परिस्थिति अनुसार मत विभाजन कराने की आवश्यकता का निर्णय करने का अधिकार आसंदी को है तथा इस समय इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

8. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन द्वारा संकल्प अस्वीकार किए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

9. अशासकीय संकल्प (क्रमशः)

(3) दुर्ग से चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस एवं अमरकंटक एक्सप्रेस को डोंगरगढ़ रेल्वे स्टेशन तक चलाए जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाना।

श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री हेमचंद यादव, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने पर सहमति व्यक्त की।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सांय 6.02 बजे बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 7, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

◌

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2007

(फाल्गुन-7, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06 तथा 08 एवं 09 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 07 पर प्रश्नकर्ता सदस्य श्री चुरावन मंगेश्कर अनुपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर सूची में 15 अतारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री नोवेल कुमार वर्मा, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

(3) तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों तथा श्री नोवेल कुमार वर्मा, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

(4) तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. विशेषाधिकार भंग की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल, श्रीमती रेणु जोगी, श्री धर्मजीत सिंह एवं अन्य सदस्यों द्वारा रायपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "जनसत्ता" के सम्पादक, ब्यूरो एवं अन्य के विरुद्ध सभा की छवि को धूमिल करने और माननीय सदस्यों के कर्तव्य निर्वहन में गंभीर बाधा उत्पन्न करने को आधार बनाकर प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना की जानकारी देते हुए सदन को सूचित किया कि चूंकि विशेषाधिकार भंग की सूचना एवं संलग्न दस्तावेजों के तथ्य प्रथम दृष्टता सभा की अवमाननाकारक प्रतीत होते हैं। अतः उन्होंने विशेषाधिकार भंग की सूचना को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया है। विशेषाधिकार समिति अपना प्रतिवेदन दिनांक 16 मार्च, 2007 तक प्रस्तुत करेगी।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2006-2007 पटल पर रखा।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, भूपेश बघेल, सदस्य ने बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति जर्जर होने की ओर राज्य मंत्री, लोक निर्माण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), लोक निर्माण ने इस पर वक्तव्य दिया।

(12.16 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

(2) श्री नंदकुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, कुमारी रोजलिन बेकमेन, सदस्य ने रायगढ़ एवं जशपुर जिले में जंगली हाथियों का आंतक होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने जिला रायगढ़, ग्राम-साल्हेकोना कटंगपाली पत्थर खदान में कार्यरत महिलाओं की मिट्टी धसकने से मृत्यु होने,

(2) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने भटगांव विधान सभा क्षेत्र के झारमुड़ा ग्राम में पहुंच मार्ग का अभाव होने,

(3) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने जांजगीर-चांपा में छात्रावास भवन की बदहाल स्थिति एवं अव्यवस्था होने, तथा

(4) श्री चंदुलाल साहू, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र - राजिम, विकासखण्ड फिंगेश्वर, झरझरा नाला निर्माण कार्य को अधूरा छोड़े जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी।

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री नंदकुमार पटेल

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के स मय में वृद्धि की घोषणा की।)

(1.33 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री कमलभान सिंह, महंत रामसुंदर दास, श्रीमती रमशीला साहू,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा,

8. व्यवस्था

पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य की भूमिका

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि - आपकी पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य के रूप में भूमिका भिन्न-भिन्न है, इस पर माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि -

आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं जब नीचे बैठ करके कोई बात कहूं और इस आसंदी में तो दोनों में बहुत अंतर रहेगा, क्योंकि प्रजातंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर की यह सर्वोच्च आसंदी है और इस पर मैं नहीं मेरी जगह पर जो कोई भी बैठेगा वह इस आसंदी के प्रति उत्तरदायी होता है और उसी के हिसाब से वह अपनी बात कहेगा। अगर आप मुझसे यह अपेक्षा केरं कि मैं जो बात वहां बैठ करके कहता हूँ वही बात मैं इस आसंदी से कहूंगा तो वह इस आसंदी का अपमान होगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन

कर रहा हूं कि आपको जो कहना है आप स्वतंत्र होकर कहिये लेकिन आप कृपा करके किसी के ऊपर बिना प्रमाण के आक्षेप वगैरह न लगायें।

9. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

डॉ. हरिदास भारद्वाज, दयालदास बघेल, सुश्री कामदा जोल्हे

10. व्यवस्था

संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत अभिव्यक्ति

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि -

माननीय सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा द्वारा अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोक निर्माण विभाग के कार्यों पर चर्चा के दौरान माननीय लोक निर्माण मंत्री ने आपत्ति करते हुए यह कथन किया था कि यदि आरोप लगायें तो प्रमाण के साथ लगायें। इस पर माननीय सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा ने किसी प्रकार का आरोप लगाए जाने से स्पष्ट इंकार किया था। मैंने तत्समय कार्यवाही देखकर यथा-योग्य निर्णय देने हेतु सूचित किया था। मैंने कार्यवाही का अवलोकन किया। माननीय सदस्य द्वारा कार्यवाही में किसी प्रकार का स्पष्ट आरोप लगाया गया हो, प्रतीत नहीं होता है। तथापि मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि यदि वे अपनी बात रखते समय संसदीय नियमों, प्रक्रियाओं का कृपया कर ध्यान रख करके अपनी बात कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

11. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, प्रीतम साहू, मोहम्मद अकबर

माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

श्री इंदर चोपड़ा

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष

12. व्यवस्था

सदन में कार्यवाही को संदर्भित करें तो उसकी पुष्टि कार्यवाही की शोधित प्रति से कर लें

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि -

माननीय सदस्य ने श्री मोहम्मद अकबर ने अपने भाषण के दौरान दिनांक 22 फरवरी, 2006 की कार्यवाही को संदर्भित करके माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहे गये लेकिन पश्चात् विलोपित कर दिये गये एक शब्द को बार-बार कार्यवाही के अंश के रूप में संदर्भित किया।

मैंने उन अंशों को आज की कार्यवाही से विलोपित कर दिया है।

मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभा में जब भी कार्यवाही को संदर्भित करें तो उसकी पुष्टि कार्यवाही की शोधित प्रति से कर लें।

13. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 7.10 बजे बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 8, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2007

(फाल्गुन-8, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 06, 08 से 10 एवं 12, 13 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 01, 07 एवं 11 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः श्री धनेन्द्र साहू, श्री गुलाब सिंह एवं श्री अमरजीत भगत अनुपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 17 तारांकित एवं 28 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 12 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

i. क्रमांक एफ-ए 3/7/2001/एक/1, दिनांक 23 नवम्बर, 2001

ii. क्रमांक एफ-ए 3-6/2005/1/एक, दिनांक 6 सितम्बर, 2005, तथा

iii. क्रमांक एफ-ए 3-6/2005/1/एक, दिनांक 22 जुलाई, 2006,;

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, तथा

(3) श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 तथा द्वितीय प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003

पटल पर रखा।

(12.02 से 12.30 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

4. वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 28 फरवरी, 1 मार्च एवं 2 मार्च, 2007 की तिथियाँ आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत की।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि - आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना दिनांक 28 फरवरी, 2007 को अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी सकती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

5. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज माननीय मुख्यमंत्री की ओर विधान सभा के सेंट्रल लॉन में दोपहर भोज की व्यवस्था की गयी है समस्त माननीय सदस्य एवं पत्रकारगण आमंत्रित हैं।

अपराह्न 1.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 9, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2007

(फाल्गुन-9, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल दिनांक 21 फरवरी, 2007 के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 03 तथा 23 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 01 पर श्री रविन्द्र चौबे के स्थान पर श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में 24 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार -

(i) अधिसूचना क्रमांक - एफ 1-1/2005/1/6, दिनांक 11 अक्टूबर, 2005 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005,

(ii) अधिसूचना क्रमांक - एफ 2-10/2006/1/6, दिनांक 9 मार्च, 2006 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम, 2006,

(iii) अधिसूचना क्रमांक - एफ 2-11/2006/1/6, दिनांक 17 मार्च, 2006 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2006, तथा

(iv) अधिसूचना क्रमांक - एफ 2-10/2006/1/6, दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम, 2007,

पटल पर रखीं।

3. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक, बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2007 को सम्पन्न हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि सामान्य सूची पुनर्निधारित करते हुए फरवरी-मार्च, 2007 सत्र की अवधि शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2007 तक रखी जाए।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परिवर्तित तिथियों के अनुसार सभा की बैठकें अब दिनांक 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च तथा 17 मार्च, 2007 को भी होंगी। वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु दिनांक 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 तथा 16 मार्च, 2007 को तिथियां निर्धारित की जाएं। दिनांक 16 मार्च, 2007 को वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की मांगों से संबंधित

विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन एवं शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2007 को तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार व पारण होगा।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि दिनांक 8 मार्च, 2007 से दिनांक 17 मार्च, 2007 तक भोजन अवकाश नहीं होगा तथा बैठकों का समय सायं 7.00 बजे तक रहेगा।

समिति के निर्णयानुसार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2007 पर चर्चा हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मंत्रियों के विभागों से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा पृथक से किया जाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सर्वश्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल, सदस्य ने प्रदेश में एड्स रोग नियंत्रण कार्यक्रम असफल होने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित किया।

(12.12 बजे उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री गणेश शंकर बाजपेयी, मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने जिला-रायपुर में बच्चों के लापता होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 4 में सम्मिलित याचिकाएं निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

(1) श्री देवजी पटेल,

(2) महंत रामसुंदर दास

(3) श्री नोवेल कुमार वर्मा

7. वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

डॉ. रामचंद्र सिंहदेव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ. बालमुकुन्द देवांगन,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

श्री कवासी लखमा

(चर्चा जारी)

सायं 5.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 1 मार्च, 2007 (फाल्गुन 10, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरूवार, दिनांक 01 मार्च, 2007

(फाल्गुन-10, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 16 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09 एवं 11 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 02 पर श्री महेन्द्र कर्मा के स्थान पर श्री मोहम्मद अकबर, अधिकृत थे।

प्रश्न संख्या 04, 08 एवं 10 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः महंत रामसुंदर दास, श्री रामपुकार सिंह एवं श्री चैतराम साहू अनुपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 01 तारांकित एवं 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 06 की चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री राजेन्द्र पामभोई, सदस्य ने बारनवापारा अभ्यारण क्षेत्र में चीतल एवं एक व्यक्ति की मौत होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने जगदलपुर में ठेकेदारों द्वारा मजदूरों के साथ मार-पीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने टाटा कंपनी द्वारा प्रस्तावित ग्रामों में भू-अधिग्रहण करने से गांव में माहौल अशांत होने संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अघन सिंह ठाकुर, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च, 2007 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्र.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 7)	श्री रविन्द्र चौबे	1 घंटा
2. (क्रमांक - 20)	श्री देवजी पटेल	45 मिनट
3. (क्रमांक - 26)	श्री विनोद खांडेकर	45 मिनट

श्री अघन सिंह ठाकुर, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 4 में सम्मिलित याचिकाएं निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

(1) श्री रविन्द्र चौबे

(2) श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम

(3) डॉ. बालमुकुंद देवांगन

7. वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री लच्छुराम कश्यप

(12.32 बजे सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री उदय मुदलियार, डॉ. सुभाऊ कश्यप

(जारी)

(1.30 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, त्रिलोचन पटेल, अमरजीत भगत, विजय अग्रवाल, रामदयाल उइके, संजय ढीढी, गुलाब सिंह, नोवेल कुमार वर्मा, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, दयालदास बघेल

(जारी)

सायं 5.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च, 2007 (फाल्गुन 11, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 02 मार्च, 2007

(फाल्गुन-11, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04, 06 एवं 07 तथा 09 से 15 तक (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 05 एवं 08 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री धनेन्द्र साहू एवं सुश्री कामदा जोल्हे अनुपस्थित थे।

प्रश्न संख्या 12 पर श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य के स्थान पर श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 06 तारांकित एवं 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 14 की चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों तथा श्री नोवेल कुमार वर्मा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - कार्यसूची में 17 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश 22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ली जावेंगी जिन पर संबंधित मंत्री वक्तव्य देंगे तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। शेष सूचनाएँ तथा उनके उत्तर पटल पर रखे माने जाएंगे।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा, नक्सली हिंसा से संबंधित घटना के परिप्रेक्ष्य में शासन की ओर से वक्तव्य की मांग की गई।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने ध्यानाकर्षण चर्चा के पश्चात् शासन की ओर से वक्तव्य दिए जाने संबंधी सहमति दी।

(1) श्री देवजी पटेल, श्री मोहम्मद अकबर एवं डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने मध्यान्ह भोजन हेतु गैस चूल्हा क्रय में नियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मेघाराम साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. अध्यक्षीय घोषणा

ध्यानाकर्षण क्रमांक 1 की चर्चा पर शासन के उत्तर एवं माननीय सदस्यों के विचारों के परिप्रेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -

इस ध्यानाकर्षण सूचना से उद्भूत विषयों एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं पर जांच एवं प्रतिवेदन के लिये मैं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा "गैस चूल्हा क्रय में अनियमितता की जांच" प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपता हूं।

समिति आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा, विकासखण्ड-पामगढ़, ग्राम खरौद में फर्शी पत्थर का अवैध उत्खनन होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची के पद 2 के उप पद (3) से (17) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारे तथा घोषणा की कि निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

(3) श्री रविन्द्र चौबे, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी,

(5) श्री रविन्द्र चौबे, श्री गणेश शंकर बाजपेयी,

(7) डॉ. शक्राजीत नायक, श्री धर्मजीत सिंह,

(9) श्री मोतीलाल देवांगन,

(12) डॉ. हरिदास भारद्वाज,

(13) श्री देवजी पटेल, श्री त्रिलोचन पटेल,

(14) श्री देवजी पटेल,

(15) डॉ. शक्राजीत नायक

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन

(2) श्री नंदकुमार पटेल

(3) डॉ. बालमुकुंद देवांगन

(4) श्रीमती रमशीला साहू

(5) डॉ. हरिदास भारद्वाज

(6) श्री चंदुलाल साहू

(7) डॉ. शक्राजीत नायक

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. याचिकाओं का प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 4 में सम्मिलित याचिकाएं निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

(1) श्री सियाराम कौशिक

(2) श्री चैतराम साहू

(3) श्री बोधराम कंवर

(4) श्री गुलाब सिंह

9. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - आज शुक्रवार है अतः अंतिम ढाई घण्टे अशासकीय कार्य हेतु निर्धारित है। उसके पूर्व आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा भी पूर्ण होना है। कल से होली अवकाश है और माननीय सदस्यों को दूरस्थ स्थानों तक जाना है।

जिन सदस्यों के अशासकीय संकल्प हैं उन्होंने यह अनुरोध किया है कि आज उनके संकल्प नहीं लिये जाएं और सदन की कार्यवाही आय-व्ययक पर चर्चा के पूर्ण होने तक जारी रखी जाए। इस हेतु संसदीय कार्य मंत्री ने भी सहमति दी है।

अतः आज आय-व्ययक पर चर्चा बिना भोजन अवकाश के आय-व्ययक पर चर्चा पूर्ण होने तक जारी रखी जाए।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

10. वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री दयाल दास बघेल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, देवलाल दुग्गा, मोहम्मद अकबर,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

11. वक्तव्य

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने 01 मार्च, 2007 को हुए कोंटा-सुकमा मार्ग पर हुए नक्सली विस्फोट से हुई जनधन हानि के संबंध में वक्तव्य दिया।

12. वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री भूपेश बघेल,

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 3.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 8 मार्च, 2007 (फाल्गुन 17, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरूवार, दिनांक 08 मार्च, 2007

(फाल्गुन-17, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक कार्य विवरण वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 पटल पर रखा।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने लोक निर्माण विभाग में निविदा प्रक्रिया व डी.पी.आर. तैयार करने में अनियमितता कर शासन को हानि पहुंचाये जाने की ओर राज्य मंत्री, लोक निर्माण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लोक निर्माण ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, रविन्द्र चौबे, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने बिलासपुर स्थित कानन पेंडारी के चीतलों की अचानकमार अभ्यारण में शिफ्टिंग करते समय मौत होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. वर्ष 2007-2008 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 8, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय मांग संख्या 9, वन विभाग से संबंधित मांग संख्या 10, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या 35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या 58, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51, संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय मांग संख्या 26, पर्यटन से संबंधित मांग संख्या 37, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या 29 एवं खेल और युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या 43 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-8 पर सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, उदय मुदलियार, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, गणेश शंकर बाजपेयी, कुमारी कामदा जोल्हे, नंद कुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, (डॉ.) शक्राजीत नायक, मोहम्मद अकबर, **मांग संख्या-9** पर श्री उदय मुदलियार एवं श्री चुरावन मंगेशकर, **मांग संख्या-10** पर सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, उदय मुदलियार, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, गणेश शंकर बाजपेयी, नंद कु मार पटेल, रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, (डॉ.) शक्राजीत नायक, मोहम्मद अकबर, चुरावन मंगेशकर, **मांग सख्या-35** पर सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, उदय मुदलियार, सियाराम कौशिक, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-58** पर श्री महंत रामसुंदर दास एवं श्री उदय मुदलियार, **मांग संख्या-51** पर

सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, उदय मुदलियार, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, नंद कुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, (डॉ.) शक्राजीत नायक, मोहम्मद अकबर, **मांग संख्या-26** पर सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, उदय मुदलियार, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, **मांग संख्या-37** पर सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, उदय मुदलियार, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, मोहम्मद अकबर, सियाराम कौशिक, **मांग संख्या-29** पर सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, उदय मुदलियार, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, नंद कुमार पटेल, **मांग संख्या-43** पर सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, उदय मुदलियार, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, कुमारी कामदा जोल्हे, नंद कुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, मोहम्मद अकबर, रविन्द्र चौबे, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों तथा कटौती के प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, चन्दुलाल साहू, मोहम्मद अकबर,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अघन सिंह ठाकुर, धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल, महंत रामसुंदर दास,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री त्रिलोचन पटेल, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, विजयनाथ सिंह, धनेन्द्र साहू,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री (डॉ.) बालमुकुंद देवांगन, (डॉ.) शक्राजीत नायक, सिद्धनाथ, उदय मुदलियार, संजय ढीढी,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

श्री नोवेल कुमार वर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या 23, आयाकट विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या 45, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 57, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 75, श्रम विभाग से संबंधित मांग संख्या 18, परिवहन विभाग से संबंधित मांग संख्या 36 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-23 पर सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, उदय मुदलियार, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, (डॉ.) शक्राजीत नायक, **मांग संख्या-40** पर श्री महंत रामसुंदर दास एवं श्री उदय मुदलियार, **मांग संख्या-45** पर सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, उदय मुदलियार, धर्मजीत सिंह, **मांग संख्या-57** पर श्री महंत रामसुंदर दास, **मांग संख्या-75** पर श्री महंत रामसुंदर दास, **मांग संख्या-18** पर सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, उदय मुदलियार, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-36** पर सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, उदय मुदलियार, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

सायं 6.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च, 2007 (फाल्गुन 18, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 09 मार्च, 2007

(फाल्गुन-18, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा निम्न गुणवत्ता के ट्रांसफार्मर क्रय किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश में धान खरीदी एवं बारदाना क्रय में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

2. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन

(2) श्री अमरजीत भगत

(3) श्री उदय मुदलियार

(4) श्री चन्दुलाल साहू

(5) श्री गुलाब सिंह

3. व्यवस्था

माननीय मंत्रियों द्वारा सदन से अनुपस्थित रहने की सूचना देने तथा अनुपस्थिति की सूचना देने के पश्चात् भी सदन में उपस्थिति पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:-

आज सदन में वे मंत्री भी विराजमान हैं जिन्होंने पूर्व में आज के लिए अनुपस्थिति की सूचना दी है। जब कोई मंत्री अनुपस्थिति की सूचना देकर और अनुमति लेकर जाते हैं तो प्रयास यह रहता है कि सदन में माननीय सदस्यों की उन मंत्रियों से संबंधित नहीं ली जाएं।

माननीय अध्यक्ष ने मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे भविष्य में अत्यावश्यक होने पर ही सदन से अनुपस्थिति की अनुमति लें।

4. वर्ष 2007-2008 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांगों तथा कटौती के प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री धनेन्द्र साहू,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री (डॉ.) बालमुकुंद देवांगन, धर्मजीत सिंह, अघन सिंह ठाकुर, सत्यनारायण शर्मा, सिद्धनाथ, नंदकुमार पटेल, (डॉ.) श्रीमती रेणु जोगी, देवजी पटेल,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री उदय मुदलियार,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, महंत रामसुंदर दास, लच्छुराम कश्यप, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, (डॉ.) शक्राजीत नायक, अमरजीत भगत, भूपेश बघेल,

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, लोक निर्माण ने लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या-24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या-67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-76, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-11, ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या-56 एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित मांग संख्या-71 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-24 पर महंत रामसुंदर दास, डॉ. हरिदास भारद्वाज, धर्मजीत सिंह, डॉ. शक्राजीत नायक, ताम्रध्वज साहू, **मांग संख्या-67** पर महंत रामसुंदर दास, **मांग संख्या-76** पर महंत रा मसुंदर दास, **मांग संख्या-11** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री ताम्रध्वज साहू, **मांग संख्या-56** पर महंत रामसुंदर दास एवं श्री रामदयाल उइके तथा **मांग संख्या-71** पर महंत रामसुंदर दास एवं डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री धर्मजीत सिंह,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवलाल दुग्गा, नोवेल कुमार वर्मा, महंत रामसुंदर दास,

5. बहिर्गमन

श्री नोवेल कुमार वर्मा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य द्वारा लोक निर्माम विभाग की प्रस्तुत मांगों के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

6. वर्ष 2007-2008 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, त्रिलोचन पटेल, रामदयाल उईके, सिद्धनाथ, (डॉ.) शिवकु मार डहरिया, अघन सिंह ठाकुर,

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से लोक निर्माम विभाग की मांगें पारित होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, देवजी पटेल, (डॉ.) बालमुकुंद देवांगन, प्रीतम सिंह दीवान, प्रीत म साहू, लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, श्रीमती रमशीला साहू, भूपेश बघेल,

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, लोक निर्माण ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 2007 (फाल्गुन 21, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 2007

(फाल्गुन-21, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रकुल दिवस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा अनौपचारिक उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि - राष्ट्रकुल के सदस्य देश, प्रतिवर्ष मार्च माह के द्वितीय सोमवार को राष्ट्रकुल दिवस के रूप में मनाते हैं।

तद्नुसार आज सोमवार, दिनांक 12 मार्च, राष्ट्रकुल दिवस है। इस वर्ष राष्ट्रकुल देशों ने 'सम्मान भिन्नता का, संवर्धन सद्भाव का' सूत्र को वर्ष 2007 का आधार बनाया है।

विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी का घर आज का राष्ट्रकुल है। यह राष्ट्रकुल विभिन्न धर्मों, जाति, संस्कृति, आस्थाओं एवं परम्पराओं के लगभग 2 अरब नागरिकों का समूह है।

विश्व के 53 सदस्य देशों में विस्तारित इस संगठन की सफलता का आधार है - सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति आम जनमानस के दिन-प्रतिदिन के कार्य एवं व्यवहार में परस्पर सहभागिता, सहिष्णुता जो हमारी विरासत भी है और हमारा आदर्श भी।

हमें गर्व है कि हम परस्पर सद्भाव, समझ-बूझ तथा असहमति एवं असमानता के होते हुए भी परस्पर सम्मान खी भावना से ओत-प्रोत समुदाय की रचना करते हुए विश्व बंधुत्व की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने को कृत संकल्पित हैं।

राष्ट्रकुल के देशों ने परस्पर आस्था एवं विश्वास का जो ताना-बाना बुना है वही हमारे सुनहरे भविष्य, हमारी सुरक्षा, हमारी उन्नति और विकास का आधार है।

हममें से प्रत्येक की अपनी आवश्यकताएं, आकांक्षाएं एवं प्राथमिकताएं हैं और ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि हममें से प्रत्येक का एक पृथक व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, हरेक की अपनी विशेषता है। इन विविधताओं एवं विभिन्नताओं के बीच यदि कुछ समान है तो वह है खुले दिल और दिमाग से परस्पर सौजन्यता, शिष्टता तथा भावनात्मक एकता का एक ऐसा सूत्र जो हमारी ताकत भी है और हमारी पहचान भी।

छत्तीसगढ़ विधान सभा भी राष्ट्रकुल संसदीय संघ की एक सदस्य शाखा है। आज राष्ट्रकुल दिवस के अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि हम परस्पर सहयोग, मेल-जोल एवं समन्वय से एक जागरूक, स्वस्थ, ऊर्जावान समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

आइये, हम सब भी "सम्मान भिन्नता का, संवर्धन संद्‌भाव का" सूत्र को अपना मूल मंत्र मानते हुए विश्व बंधुत्व को पुष्पित एवं पल्लवित करने हेतु प्रयासरत् रहें।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 17 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06, 08, 10, 11, 12 तथा 13 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 07 व 09 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः श्रीमती रमशीला साहू एवं श्री संजीव शाह अनुपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर सूची में 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों तथा श्री नोवेल कुमार वर्मा, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(4) श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अन्तर्गत छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006 पटल पर रखा।

(2) श्री अजय चन्द्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 (17 मार्च, 2005 से 30 जून, 2005) एवं वर्ष 2005-06 (1 जुलाई, 2005 से 30 जून, 2006) पटल पर रखा।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल, सदस्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निम्नगुणवत्ता की सड़कों के निर्माण किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने राजधानी रायपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएँ सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा:-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन

(2) श्री नंदकुमार पटेल

(3) श्री सियाराम कौशिक

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-87, डोंगरगढ़ (अ.जा.) के सदस्य श्री विनोद खांडेकर की ओर से विधान सभा नियमावली के नियम 277(1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने दिनांक 10.03.2007 से दिनांक 17.03.2007 तक सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।

9. समितियों के लिए निर्वाचन

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-221 के उप नियम (3), 223 के उप नियम (2) तथा 223-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2007-2008 की अवधि के लिए अपने में से क्रमशः 09-09 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

श्री गणेश राम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2007-2008 की अवधि के लिए अपने में से 09 सदस्य, जिनमें से क्रमशः 03-03 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2007 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2007 को अपराह्न 1.30 बजे विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी।

3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरूवार, दिनांक 15 मार्च, 2007 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है।

4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2007 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगा।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री ननकीराम कंवर, कृषिमंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया।

11. वर्ष 2007-2008 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) श्री मेघाराम साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित मांग संख्या-27 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-27 पर महंत रामसुंदर दास, श्री उदय मुदलियार, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री रविन्द्र चौबे, श्री मोहम्मद अकबर, श्री सियाराम कौशिक एवं श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोहम्मद अकबर,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवजी पटेल, ताम्रध्वज साहू, लच्छुराम कश्यप,

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

डॉ. हरिदास भारद्वाज,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सिद्धनाथ, उदय मुदलियार, दयालदास बघेल, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री त्रिलोचन पटेल, महंत रामसुंदर दास, गुलाब सिंह, भूपेश बघेल।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री मेघाराम साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने कृषि विभाग से संबंधित मांग संख्या 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 14, मछलीपालन से संबंधित मांग संख्या 16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 54, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 39 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-13 पर महंत रामसुंदर दास, डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री मोहम्मद अकबर, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री रविन्द्र चौबे **मांग संख्या-14** पर महंत रामसुंदर दास, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री मोहम्मद अकबर, श्री रविन्द्र चौबे **मांग संख्या-16** पर महंत रामसुंदर दास एवं डॉ. हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-54** पर महंत रामसुंदर दास एवं श्री रविन्द्र चौबे **मांग संख्या-39** पर महंत रामसुंदर दास, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रविन्द्र चौबे,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

श्री इंदर चोपड़ा,

(जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

12. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए दलिया क्रय के संबंध में

दिनांक 22 फरवरी, 2007 को राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-09 (क्रमांक 482) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने चर्चा उठायी।

चर्चा के दौरान श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य ने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 36(6) का उल्लेख करते हुए व्यवस्था के प्रस्न पर आसंदी का ध्यान आकर्षित किया कि माननीय सदस्य, मोह म्मद अकबर जिस नोटशीट के द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने की विधिक राय लेने हेतु प्रस्तुत करने का हवाला दे रहे हैं, उसे पटल पर नहीं रखा गया है और चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है तब उस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - विधान सभा में आधे घण्टे की चर्चा में कोई मामला यहां पर उठाया गया है तो न्यायालय के निर्णय प्रभावित होने वाले तथ्यों को हम नहीं लेंगे तथा सभी पक्षों पर विचार कर ही मामले पर आधे घण्टे की चर्चा का समय दिया गया है।

श्री कमलभान सिंह, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया।

सुश्री लता उसेंडी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने चर्चा का उत्तर दिया।

13. घोषणा

चिकित्सीय परीक्षण शिविर

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि - विधान सभा परिसर में, माननीय सदस्यों के लिए विधान सभा भवन में स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय में, दिनांक 13, 14 एवं 15 मार्च, 2007 को चिकित्सीय परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ/चिकित्सक, प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य उपस्थित रहेंगे।

समस्त माननीय सदस्य सुविधानुसार विशेषज्ञों एवं चिकित्सीय परीक्षण सुविधा का लाभ लेवें।

सायं 6.53 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2007 (फाल्गुन 22, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2007

(फाल्गुन-22, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 तथा 09 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 08 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अमरजीत भगत अनुपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 09 तारांकित एवं 30 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री नोवेल कुमार वर्मा, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने प्रदेश में शराब की अवैध बिक्री तथा स्थानीय संस्थाओं से अनुमति प्राप्त किये बिना शराब दुकान खोले जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री नंदकुमार पटेल, महेन्द्र कर्मा, रविन्द्र चौबे, सदस्य ने जिला रायगढ़ में शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अघन सिंह ठाकुर, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 4 में सम्मिलित याचिकाएं निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

(1) श्री सियाराम कौशिक

(2) श्री चैतराम साहू

(3) श्री मोतीलाल साहू

(4) श्री रविन्द्र चौबे

(5) श्री लच्छुराम कश्यप

7. वर्ष 2007-2008 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय कृषि मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, (डॉ.) शक्राजीत नायक,

(सभापति महोदय (श्री शिवप्रताप सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अघनसिंह ठाकुर, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, कमलभान सिंह, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, दयालदास बघेल, सिद्धनाथ,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवजी पटेल, संजय ढीढी, भूपेश बघेल।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने पुलिस विभाग से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 4, जेल विभाग से संबंधित मांग संख्या 5 तथा सहकारिता विभाग से संबंधित मांग संख्या 17 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-3 पर डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री नंदकुमार पटेल, श्री मोहम्मद अकबर, श्री भूपेश बघेल **मांग संख्या-4** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री मोहम्मद अकबर **मांग संख्या-5** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री नंदकुमार पटेल, श्री मोहम्मद अकबर, श्री भूपेश बघेल **मांग संख्या-17** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री नंदकुमार पटेल, श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, देवजी पटेल,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री लच्छुराम कश्यप,

(माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से गृह विभाग की मांगें पारित होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री मोहम्मद अकबर,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

डॉ. सुभाऊ कश्यप, श्री भूपेश बघेल,

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.44 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2007 (फाल्गुन 23, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2007

(फाल्गुन-23, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 03, 05, 06,07, 09 से 14 तथा 17 एवं 19 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 01, 04, 08, 15, 16 एवं 18 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री संजीव शाह, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, रामपुकार सिंह, उदय मुदलियार, महेन्द्र कर्मा एवं योगेश्वर राज सिंह अनुपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 06 तारांकित एवं 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री नंद कुमार पटेल, सदस्ये के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटले, (ड़.) बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने औद्योगिक क्षेत्र भिलाई, जिला दुर्ग में तांदुला नहर पुलिया से ग्राम उमदा तक की सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने कोंटा ब्लाक के हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने की ओर राज्य मंत्री, समाज कल्याण का ध्यान आकर्षित किया।

सुश्री लता उसेंडी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - निम्नलिखित सदस्यों को शून्यकाल की सूचनाएँ सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री मोहम्मद अकबर

(2) श्री सियाराम कौशिक

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री रविन्द्र चौबे, सभापति ने लोक लेखा समिति का इक्यावनवां, बावनवां, तिरेपनवां, चौवनवां, पचपनवां, छप्पनवां, सत्तावनवां, अट्ठावनवां, उनसठवां, साठवां, इकसठवां, बासठवां एवं तिरेसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 4 में सम्मिलित याचिकाएं निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

(1) श्रीमती रमशीला साहू

(2) डॉ. हरिदास भारद्वाज

7. वर्ष 2007-2008 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित मांग संख्या 19 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 79 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-19 पर महंत रामसुंदर दास, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री गणेश शंकर बाजपेयी, श्री धर्मजीत सिंह, श्री मोहम्मद अकबर, श्री चैतराम साहू, श्री रविन्द्र चौबे **मांग संख्या-79** पर श्री उदय मुदलियार, डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री गणेश शंकर बाजपेयी, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. हरिदास भारद्वाज,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवजी पटेल, मोहम्मद अकबर, त्रिलोचन पटेल,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, विजय अग्रवाल, नोवेल कुमार वर्मा, प्रीतम साहू,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, लच्छुराम कश्यप, भूपेश बघेल।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री केदार कश्यप, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या 20 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-20 पर महंत रामसुंदर दास, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री धर्मजीत सिंह, श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. हरिदास भारद्वाज,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री (डॉ.) बालमुकुंद देवांगन, महंत रामसुंदर दास, अघन सिंह ठाकुर, त्रिलोचन पटेल, लच्छुराम कश्यप, दयालदास बघेल, सिद्धनाथ, नोवेल कुमार वर्मा, देवजी पटेल।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री केदार कश्यप, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने चर्चा का उत्तर दिया।◌

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) सुश्री लता उसेंडी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने समाज कल्याण विभाग से संबंधित मांग संख्या 34 एवं महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 55 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-34 पर डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं **मांग संख्या-55** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री धर्मजीत सिंह

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से महिला एवं बाल विभाग की मांगें पारित होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, चंदुलाल साहू।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सुश्री लता उसेंडी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने चर्चा का उत्तर दिया।◌

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 15 मार्च, 2007 (फाल्गुन 24, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

◌

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरूवार, दिनांक 15 मार्च, 2007

(फाल्गुन-24, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 06 से 10, 13, 14, 15 एवं 18 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 10 हेतु श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य के स्थान पर श्री भूपेश बघेल, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्न संख्या 03, 04, 05, 11, 12, 16 एवं 17 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री बोधराम कंवर, रामदयाल उइके, बलराम सिंह, चुरावन मंगेशकर, योगेश्वर राज सिंह, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी एवं श्री सियाराम कौशिक अनुपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 02 तारांकित एवं 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अध्यक्षीय घोषणा

तारांकित प्रश्न क्रमांक 10 पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने इस प्रश्न से उद्भूत विषय पर कार्यवाही के लिए प्रकरण को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपने की घोषणा की।

प्रश्नकाल की समाप्ति पर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा बीजापुर जिले के रानीबोदली नक्सली हिंसा की घटना की ओर आसंदी का ध्यान आकर्षित करते हुए, प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य करने तथा शासन के वक्तव्य की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने अवगत कराया कि इस संबंध में शासन से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

3. वक्तव्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने नक्सली घटना के संबंध में वक्तव्य दिया।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने -

(अ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-

(i) दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए (राजस्व प्राप्तियाँ) (छत्तीसगढ़ शासन), तथा

(ii) दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए (सिविल एवं वाणिज्यिक) (छत्तीसगढ़ शासन), तथा

(ब) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन (1.4.2005 से 31.3.2006) पटल पर रखे।

(2) श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 45 के अधीन बनाये छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा (वित्तीय वर्ष 2005-2006) पटल पर रखा।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने राजधानी रायपुर स्थित मेकाहारा में केंसर सिकाई मशीन क्रय नहीं किये जाने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों तथा श्री नोवेल कुमार वर्मा, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने उद्योगों द्वारा ई.एस.पी. बंद किये जाने से प्रदूषण फैलने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गणेश राम भगत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री मोहम्मद अकबर

(2) श्री विक्रम उसेंडी

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 4 में सम्मिलित याचिकाएं निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

(1) श्री देवजी पटेल

(2) श्री गणेश शंकर बाजपेयी

(3) श्री प्रीतम सिंह दीवान

(4) महंत रामसुंदर दास

(5) श्री प्रीतम साहू

10. वर्ष 2007-2008 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) श्री गणेश राम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 15, आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित मांग संख्या 33, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 41, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 49, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 64, पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित मांग संख्या 66, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 68, बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 77, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 82, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 83 एवं आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 21 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-15 पर महंत रामसुंदर दास एवं डॉ. हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-33** पर महंत रामसुंदर दास, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री गणेश शंकर बाजपेयी, श्री धर्मजीत सिंह, श्री मोहम्मद अकबर **मांग संख्या-41** पर महंत रामसुंदर दास **मांग संख्या-49** पर महंत रामसुंदर दास एवं श्री ध र्मजीत सिंह **मांग संख्या-53** पर महंत रामसुंदर दास **मांग संख्या-64** पर महंत रामसुंदर दास **मांग सख्या-66** पर महंत रामसुंदर दास एवं श्री मोहम्मद अकबर **मांग संख्या-68** पर महंत रामसुंदर दास मांग **संख्या-77** पर महंत रामसुंदर दास **मांग संख्या-82** पर महंत रामसुंदर दास **मांग संख्या-83** पर महंत रामसुंदर दास **मांग संख्या-21** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री मोहम्मद अकबर, श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, देवलाल दुग्गा, ओंकार शाह,

(सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री लच्छुराम कश्यप, धर्मजीत सिंह, अघन सिंह ठाकुर,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवजी पटेल, (डॉ.) श्रीमती रेणु जोगी, दयालदास बघेल, सिद्धनाथ, संजय ढीढी, भरत साय, भूपेश बघेल, नोवेल कुमार वर्मा।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री गणेश राम भगत, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 80, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 59, राज्य विधान मंडल से संबंधित मांग संख्या 28, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग

संख्या 44, विज्ञान एवं टेक्नालॉजी से संबंधित मांग संख्या 46, तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित मांग संख्या 47 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-30 पर श्री मोहम्मद अकबर एवं श्री ताम्रध्वज साहू **मांग संख्या-59** पर श्री मोहम्मद अकबर **मांग संख्या-44** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री धर्मजीत सिंह एवं **मांग संख्या-47** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. हरिदास भारद्वाज,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से पंचायत विभाग की मांगें पारित होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री लच्छुराम कश्यप,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री धर्मजीत सिंह,

(जारी)

11. वक्तव्य

दिनांक 15.3.2007 को बीजापुर पुलिस जिले में घटित नक्सली घटना के संबंध में गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने बीजापुर पुलिस जिले के रानीबोदली पुलिस पोस्ट पर दिनांक 15.3.2007 को हुए नक्सली हमले के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि - सरकार नक्सलियों पर अंकुश लगाने में लगातार विफल रही है इसलिए इस घटना के परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक सरकार नक्सली समस्या को नियंत्रित करने की कोई ठोस घोषणा नहीं करती तब तक उनका दल सदन का बहिष्कार करता है।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि - शासन का इस संबंध में नीति का क्रियान्वयन और उत्तरदायित्व अनिश्चित है इसलिए वे भी सदन का बहिष्कार करते हैं।

12. बहिष्कार

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों तथा श्री नोवेल कुमार वर्मा, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य द्वारा सरकार द्वारा नक्सली समस्या पर काबू पाने में लगातार विफल रहने के विरोध में सदन का बहिष्कार किया गया।

13. व्यवस्था

प्रतिपक्ष के सदन के बहिष्कार पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आज हुई विभत्स घटना पर प्रतिपक्ष ने बहिष्कार किया है। आज सभा में बजट पर चर्चा चल रही है इस सभा की यह परम्परा रही है कि उत्कृष्ट संसदीय परम्परा के निर्वाह में हम पक्ष-प्रतिपक्ष विचार कर बजट पूरी बहस के बाद पारित करते हैं ऐसी स्थिति में वे आज सदन की कार्यवाही बिना प्रतिपक्ष के आगे चलाना उचित नहीं समझते हैं।

रात्रि 8.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2007 (फाल्गुन 25, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2007

(फाल्गुन-25, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 21 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 03, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20 एवं 21 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 03 हेतु श्री उदय मुदलियार, सदस्य के स्थान पर श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्न संख्या 01, 04, 05, 08, 11, 13, 14 एवं 18 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, संजीव शाह, सुश्री कामदा जोल्हे, प्रीतम साहू, नंदकुमार पटेल, रामदयाल उइके, सियाराम कौशिक एवं नंदकुमार पटेल अनुपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 02 तारांकित एवं 13 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखा।

(2) श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का बयालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 (दिनांक 1 जुलाई, 2005 से 30 जून, 2006) पटल पर रखा।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री भूपेश बघेल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के रानीबोदली में नक्सलियों द्वारा पुलिस जवानों की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भी सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर प्रकाश डाला।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने व्यक्त किया कि घटना से हम सब दुःखी हैं और उनका दल कोई प्रत्यक्ष विरोध न कर शांति से सदन में मौन बैठेंगे तथा कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेगा।

4. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - सदन में विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से चर्चा होती है। आप सबने ध्यानाकर्षित किया, सभी सदस्यों को प्रश्न करने का अवसर प्राप्त हुआ और यदि सदन में सरकार के किसी वक्तव्य से अगर असहमति है तो उसकी भी प्रक्रिया है, किन्तु सदन में उपस्थिति के बावजूद चर्चा में भाग नहीं लेना यह कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है?

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने ऊर्जा विभाग द्वारा ऊंची दरों पर बिजली खरीदे जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भी स्थिति स्पष्ट की।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री मोहम्मद अकबर

(2) श्री उदय मुदलियार

रानीबोदली नक्सली वारदात में शहीद जवानों के सम्मान में सभा की कार्यवाही 1.07 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 1.21 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विजय अग्रवाल, सदस्य ने औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई की जल प्रदाय परियोजना को बूट आधार पर निजी क्षेत्र में सौंपे जाने की प्रकरण की जांच संबंधी लोक लेखा समिति का चौसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 5 में सम्मिलित याचिकाएं निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

(1) डॉ. हरिदास भारद्वाज

(2) श्री राजकमल सिंघानिया

(3) श्री गणेश शंकर बाजपेयी

(4) श्री देवजी पटेल

(5) श्रीमती रमशीला साहू

(6) श्री रविन्द्र चौबे

9. वर्ष 2007-2008 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

पंचायत मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री देवजी पटेल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहम्मद अकबर, त्रिलोचन पटेल, सिद्धनाथ,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, (डॉ.) बालमुकुंद देवांगन, संजय ढीढी, विजय अग्रवाल, प्रीतम साहू,

10. घोषणा

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से घोषणा की कि -

विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 153 के उप नियम (2) के अनुसार सभी विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होकर वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक से संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन आज अपराह्न 4.00 बजे तक किया जाना निर्धारित है। चूंकि अभी माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं माननीय मुख्यमंत्री की अनुदान मांगों पर चर्चा होना शेष है।

अतः नियम 153 के उप नियम (2) को शिथिल करते हुए मांगों पर चर्चा पूर्ण होने पर विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जाय।

11. वर्ष 2007-2008 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री अघन सिंह ठाकुर, भूपेश बघेल।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मांग संख्या 1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 2, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 12, जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 32, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या 65, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 25, वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 6, वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 7, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 31, बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान से संबंधित मांग संख्या 38, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 50, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 60, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या 22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या 69 एवं नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 81 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-1 पर डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री मोहम्मद अकबर **मांग संख्या-2** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री मोहम्मद अकबर **मांग संख्या-12** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री मोहम्मद अकबर, श्री महेन्द्र कर्मा **मांग संख्या-32** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री मोहम्मद अकबर **मांग संख्या-65** पर श्री मोहम्मद अकबर **मांग संख्या-25** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री मोहम्मद अकबर **मांग संख्या-6** पर श्री मोहम्मद अकबर **मांग संख्या-7** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री महेन्द्र कर्मा **मांग संख्या-50** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं **मांग संख्या-22** पर डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री मोह म्मद अकबर, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

डॉ. बालमुकुंद देवांगन, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री देवजी पटेल, श्री विजय अग्रवाल, कु. रोजलिन बेकमेन,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री देवलाल दुग्गा, श्रीमती रमशीला साहू, श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों पर मत लिया गया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2007 का पुरःस्थापन किया।

13. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि - अशासकीय संकल्प देने वाले सदस्यों की सहमति से अशासकीय संकल्प आज नहीं लिए जा रहे हैं, इन्हें आगामी सत्र में लिया जाएगा।

रात्रि 8.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2007 (फाल्गुन 26, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2007
(फाल्गुन - 26, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर -

i. उन्चालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2002-2003 (दिनांक 1 जुलाई, 2002 से 30 जून, 2003)

ii.चालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2003-2004 (दिनांक 1 जुलाई, 2003 से 30 जून, 2003), तथा

iii.इकतालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2004-2005 (दिनांक 1 जुलाई, 2004 से 30 जून, 2005) पटल पर रखा ।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - कार्यसूची में 29 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22 (6) के तहत शामिल किया गया है । इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाऐं सदन में पढ़ी जावेंगी जिन पर संबंधित मंत्री वक्तव्य देंगे तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । शेष सूचनाएँ तथा उनके उत्तर पटल पर रखे माने जाएंगे ।

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, डॉ शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ-सारंगढ़ मार्ग पर ग्राम लोहरसिंग में भंडारण की उचित व्यवस्था न होने से धान भीगकर खराब होने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री पुनम चन्द्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(1) श्री लच्छुराम कश्यप, डॉ सुभाऊ कश्यप, सदस्य ने जिला बस्तर के विकासखंड-लोहंडीगुड़ा में टाटा स्टील फैक्टरी हेतु भूमि अधिग्रहित किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आर्कर्पित किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची के पद 2 के उप पद (3) से (29) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारे तथा घोषणा की कि निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

उप पद क्रमांक	मा.सदस्य का नाम
(3)	श्री नोवेल कुमार वर्मा,
(5)	श्री मोतीलाल देवांगन
(6)	डॉ.हरिदास भारद्वाज, भूपेश बघेल, कवासी लखमा
(8)	श्री नोवेल कुमार वर्मा,
(9)	श्री नोवेल कुमार वर्मा,
(11)	श्री देवजी पटेल, डॉ.बालमुकुंद देवांगन, श्री त्रिलोचन पटेल
(13)	श्री देवजी पटेल, श्री त्रिलोचन पटेल, डॉ.बालमुकुंद देवांगन,
(15)	श्री नंदकुमार पटेल, डॉ.शक्राजीत नायक, श्री गुलाब सिंह,
(19)	डॉ.बालमुकुंद देवांगन, श्री देवजी पटेल, श्री त्रिलोचन पटेल,
(21)	श्री मोतीलाल देवांगन,
(22)	डॉ.हरिदास भारद्वाज,
(23)	श्री मोतीलाल देवांगन,
(24)	डॉ.हरिदास भारद्वाज,
(25)	श्री मोतीलाल देवांगन,
(26)	श्री नोवेल कुमार वर्मा,
(27)	श्री मोहम्मद अकबर,
(28)	डॉ.शक्राजीत नायक, श्री धर्मजीत सिंह, श्री उदय मुदलियार
(29)	श्री महेन्द्र कर्मा, श्री धर्मजीत सिंह, श्री भूपेश बघेल

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन

(2) श्री मोहम्मद अकबर

(3) श्री महंत रामसुंदर दास

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

(1) श्री विजय अग्रवाल, सभापति ने विशेषाधिकार समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

(2) श्री देवजी पटेल, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पाईप एवं अन्य सामग्रियों के क्रय के संबंध में संदर्भित प्रकरण पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, एवं

(3) श्री विजयनाथ सिंह, सदस्य ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

5.याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 4 में सम्मिलित याचिका श्री बोधराम कंवर, सदस्य द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेगी :-

6.अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री अजय विश्नोई के अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित होने व उनके स्वागत संबंधी उल्लेख किया ।

7.प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में समयवृद्धि

(1) रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता की जांच समिति

श्री देवजी पटेल, सभापति ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 194 के उप नियम (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार प्रस्ताव किया कि -

रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता की जांच हेतु गठित सदन की जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) विशेषाधिकार समिति

श्री विजय अग्रवाल, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि -

विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

8.शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2007

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रविन्द्र चौबे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान)पीठासीन हुए ।)

श्री देवजी पटेल, डॉ.रामचंद्र सिंहदेव,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

डॉ.सुभाऊ कश्यप, डॉ.हरिदास भारद्वाज,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

सुश्री लता उसेंडी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में दलिया क्रय के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

10.शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, सिद्धनाथ,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री भूपेश बघेल, कमलभान सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2007 पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री रविन्द्र चौबे, विजय अग्रवाल, देवजी पटेल

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने ।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

11. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार

(1) प्रथम प्रतिवेदन

श्री विजय अग्रवाल, सभापति ने प्रस्ताव किया कि - दिनांक 17 मार्च, 2007 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार किया जाए ।

प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

(2) द्वितीय प्रतिवेदन

श्री विजय अग्रवाल, सभापति ने प्रस्ताव किया कि - दिनांक 17 मार्च, 2007 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर विचार किया जाए ।

प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

12. समितियों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए 09-09 मान.सदस्यों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं । चूंकि तीनों समितियों के लिए 09-09 सदस्य ही निर्वाचित किये जाना है, अतः निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समितियों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूँ:-

लोक लेखा समिति

1. श्री शिवप्रताप सिंह
2. श्री सिद्धनाथ पैकरा
3. श्री लच्छुराम कश्यप
4. श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम
5. श्री विजय अग्रवाल
6. श्री महेन्द्र कर्मा
7. श्री रविन्द्र चौबे

8. श्री भूपेश बघेल
9. डॉ. शक्राजीत नायक

श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्राक्कलन समिति

1. श्री संजीव शाह
2. श्री लच्छुराम कश्यप
3. डॉ. बालमुकुंद देवांगन
4. श्री ओमप्रकाश राठिया
5. श्री राजशरण भगत
6. श्रीमती पिंकी शिवराज शाह
7. श्री मोहम्मद अकबर
8. श्री धर्मजीत सिंह
9. श्री रामदयाल उइके

श्री संजीव शाह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री देवजी पटेल
2. श्री देवलाल दुग्गा
3. श्री प्रीतम सिंह दीवान
4. श्री त्रिलोचन पटेल
5. श्री विजय नाथ सिंह
6. श्री सत्यनारायण शर्मा
7. डॉ. शिवकुमार डहरिया
8. श्री मोतीलाल देवांगन
9. श्री नोवेल कुमार वर्मा

श्री देवजी पटेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए 9 सदस्य ही निर्वाचित किए जाना है, अतः निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति नियुक्त किया जाता है :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

1. श्री अघनसिंह ठाकुर
2. डॉ. बालमुकुंद देवांगन
3. डॉ. सुभाऊ कश्यप
4. श्रीमती रमशीला साहू
5. श्री संजय ढीढी
6. डॉ. हरिदास भारद्वाज
7. श्री मोती लाल देवांगन
8. श्री ओंकार शाह
9. सुश्री कामदा जोल्हे

श्री अघनसिंह ठाकुर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

13. नाम निर्देशित समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 (1), 208 (1,) 213, 217 (1), 224 (2), 255(1), 231 (2), 232 (1), 233 (1), 234-ग, 234-घ (2) एवं 234-ज (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नलिखित समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2007-2008 की अवधि में सेवा करने के लिए तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करता हूँ :-

कार्य मंत्रणा समिति

1. डॉ रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि मंत्री
4. श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री
5. श्री रामविचार नेताम, गृहमंत्री

6. श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष
7. श्री रविन्द्र चौबे
8. श्री भूपेश बघेल

विशेष आमंत्रित सदस्य :-

1. श्री बद्रीधर दीवान, उपाध्यक्ष विधान सभा
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्री सत्यनारायण शर्मा
4. श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री
5. श्री नन्द कुमार पटेल

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री ओमप्रकाश राठिया
2. श्री भरत साय
3. श्री प्रीतम साहू
4. सुश्री रोजलिन बैकमेन
5. श्री बलराम सिंह ठाकुर
6. श्री राजेन्द्र पामभोई
7. डॉ. चेतन वर्मा

श्री ओमप्रकाश राठिया, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

याचिका समिति

1. श्री बैदूराम कश्यप
2. श्रीमती पिंकी शिवराज शाह
3. श्री राजशरण भगत
4. श्री विजय अग्रवाल
5. श्री रामपुकार सिंह
6. श्री उदय मुदलियार
7. श्री गुलाब सिंह

श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

प्रत्यायुक्त विधान समिति-

1. श्री चन्दूलाल साहू
2. श्रीमती रमशीला साहू
3. श्री इंदर चोपड़ा
4. श्री सिद्धनाथ पैकरा
5. श्री धनेन्द्र साहू
6. श्री चन्द्रभान बारमते
7. श्री कवासी लखमा

श्री चन्दूलाल साहू, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री प्रीतम साहू
2. डॉ. सुभाऊ कश्यप
3. श्री अघनसिंह ठाकुर
4. श्री संजय ढीढी
5. श्री उदय मुदलियार
6. श्री राजकमल सिंघानिया
7. श्री योगेश्वर राज सिंह

श्री प्रीतम साहू, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

विशेषाधिकार समिति

1. श्री विजय अग्रवाल
2. श्री देवजी पटेल
3. डॉ. बालमुकुंद देवांगन
4. श्री विनोद खाण्डेकर
5. श्री मोहम्मद अकबर
6. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
7. श्री धर्मजीत सिंह

श्री विजय अग्रवाल, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

नियम समिति

1. श्री कमलभान सिंह
2. श्री नोवेल कुमार वर्मा
3. डॉ. शक्राजीत नायक
4. श्री मोतीलाल देवांगन
5. डॉ. चेतन वर्मा

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री, श्री बृजमोहन अग्रवाल उक्त समिति के पदेन सदस्य होंगे।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री विनोद खाण्डेकर
2. श्री देवलाल दुग्गा
3. श्री विजय नाथ सिंह
4. श्री इंदर चोपड़ा
5. सुश्री रोज़लिन बैकमेन
6. डॉ. शिवकुमार डहरिया
7. श्री ताम्रध्वज साहू
8. श्री चैतराम साहू
9. श्री मोहम्मद अकबर

श्री विनोद खाण्डेकर, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

पुस्तकालय समिति

1. श्री प्रीतम सिंह दीवान
2. श्रीमती रेणुका सिंह
3. श्री बेदूराम कश्यप
4. श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम
5. श्री भूपेश बघेल
6. श्री नन्द कुमार पटेल
7. श्री शिवकुमार डहरिया

श्री प्रीतम सिंह दीवान, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री कमलभान सिंह
2. श्री भरत साय
3. श्री विजयनाथ सिंह
4. श्रीमती रमशीला साहू
5. श्री बोधराम कंवर
6. श्री रामदयाल उइके
7. श्री अमरजीत भगत

श्री कमलभान सिंह, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति

1. श्री त्रिलोचन पटेल
2. श्री चन्दूलाल साहू,
3. श्री अघन सिंह ठाकुर
4. श्री संजय ढीढी
5. श्री भूपेश बघेल
6. श्री मोहम्मद अकबर
7. श्री धर्मजीत सिंह

श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

आचरण समिति

1. श्री संजीव शाह
2. श्री शिवप्रताप सिंह
3. डॉ. सुभाऊ कश्यप
4. श्री ओंकार शाह
5. डॉ. हरिदास भारद्वाज
6. श्री सियाराम कौशिक

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति, तथा माननीय मुख्यमंत्री , माननीय नेता प्रतिपक्ष उक्त समिति के पदेन सदस्य होंगे।

14. सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 234 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नलिखित सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2007-2008 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम निर्दिष्ट किया :-

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री बद्रीधर दीवान, उपाध्यक्ष विधान सभा
4. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री
5. श्री संजीव शाह
6. श्री देवजी पटेल
7. श्री अघन सिंह ठाकुर
8. श्री ओमप्रकाश राठिया
9. श्री बैदूराम कश्यप
10. श्री चन्दूलाल साहू
11. श्री प्रीतम साहू
12. श्री विजय अग्रवाल
13. श्री विनोद खाण्डेकर
14. श्री प्रीतम सिंह दीवान
15. श्री कमलभान सिंह
16. श्री त्रिलोचन पटेल
17. श्री भूपेश बघेल
18. श्री शिवप्रताप सिंह
19. श्री गणेश शंकर बाजपेयी

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।

15. नियम 167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचना

माननीय अध्यक्ष सदन को सूचित किया कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-167 के अन्तर्गत मेरे समक्ष विचाराधीन माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा, श्री मोहम्मद अकबर द्वारा माननीय गृह मंत्री, श्री रामविचार नेताम के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 14 नवम्बर, 2006 मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

16. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रतिवर्ष वितरित किए जाने वाला उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार वर्ष 2006-2007 का वितरण आगामी जुलाई सत्र के दौरान किया जाएगा।

17. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

द्वितीय विधान सभा के ग्यारहवें और चौथे बजट सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह सत्र दिनांक 19 फरवरी से महामहिम राज्यपाल महोदय श्री इक्कडू श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिम्हन के द्वारा विधान सभा में दिए गए उनके प्रथम सम्बोधन से आरम्भ हुआ। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्र दिनांक 19 फरवरी से 30 मार्च, 2007 तक की अवधि के लिए निर्धारित था तथा कुल 24 बैठकें प्रस्तावित थी। किन्तु आकस्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्मित स्थिति को विचार में लेते हुए सभा की सत्रावधि को कम करने का निर्णय लिया। तद्‌नुसार सत्र का समापन का आज दिनांक 17 मार्च को हो रहा है।

यद्यपि सत्रावधि कम हुई किन्तु संसदीय एवं विधायी कार्यों में कोई भी रूकावट न हो, इस दृष्टि से पूर्व में घोषित अवकाश के दिनों में तथा शनिवार को भी बैठकें निर्धारित की गई, फलस्वरूप बैठकों की संख्या 18 दिन निर्धारित हुई, एवं बिना भोजन अवकाश के प्रतिदिन सायंकाल 7.00 बजे तक बैठक का समय निर्धारित किया गया, किन्तु इससे भी देर तक बैठकर कार्य सम्पादित किया गया। शनिवार को भी बैठक रखने का निर्णय लेते हुए कुल 31 घण्टा 37 मिनट अतिरिक्त रूप से सभा से संबंधित कार्य सम्पादित किया और इस प्रकार सत्रावधि में 13 दिन की कमी करने के बावजूद व्यावहारिक रूप में बैठकों के दिनों में समय के मान से कोई प्रभावी कमी नहीं हुई। इस प्रकार माननीय सदस्यों ने जनप्रतिनिधि के रूप में सभा में अपने दायित्वों को गंभीरतापूर्वक पूर्ण किया, इस हेतु मैं सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के उपरांत छत्तीसगढ़ विधान सभा ने उत्कृष्ट संसदीय परम्पराओं को स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता को व्यवहार में प्रदर्शित करने की परम्परा का सूत्रपात गर्भगृह में न आने के फैसले के साथ और तद्‌नुसार नियमों में भी उसका उल्लेख करते हुये प्रारंभ किया था, उसका पालन करने के प्रति भी अपनी भावना एकाधिकबार प्रदर्शित की थी । मुझे आज यह उल्लेख करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान सत्र में एकाधिक अवसर उत्तेजना के आये भी किन्तु प्रतिपक्ष के किसी भी सदस्य ने गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया । मैं इस हेतु प्रतिपक्ष के सदस्यों की प्रशंसा करते हुये उन्हें बधाई देता हूं । किसी भी संसदीय सदन की गरिमा एवं प्रतिष्ठा सदन के सदस्यों के संसदीय कार्यों एवं व्यवहार पर निर्भर करती है । मुझे यह कहते हुये अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की आपस में समन्वय एवं अपनी सकारात्मक सोच को इस सत्र में स्थापित करने का जो प्रयास किया है वह लोकतांत्रिक भाषा के आदर्श स्वरूप का प्रतिबिम्ब है ।

बजट सत्र का महत्व इसलिए भी अधिक है कि इस सत्र में वित्तीय कार्यो का सम्पादन किया जाता है । सरकार के द्वारा आगामी वर्ष की सम्पूर्ण कार्य योजना को सदन के समक्ष रखा जाता है, जिस पर माननीय सदस्यों के वैचारिक विश्लेषण उपरांत प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्य योजना के कियान्वयन, की दशा और दिशा तय होती है ।

इस सत्र की यह विषेषता रही कि राज्य के विकास से सम्बद्ध समग्र विषयों पर, विभागों की मांगों पर सारगर्भित चर्चा के साथ-साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण एवं वित्त मंत्री जी बजट भाषण, बजट पर सामान्य चर्चा अनुदान की मांग तथा विनियोग विधेयक पर चर्चा में माननीय सदस्यों ने शासन की कार्य योजना में कमियों को इंगित करते हुये अपने महत्वपूर्ण सुझावों से शासन को नीति निर्धारण में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया ।

माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं चर्चाओं के माध्यम से राज्य हित के समस्त विषय चाहे वे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अथवा संरक्षण से जुड़ा हुआ अथवा राज्य के शिक्षा-संस्कृति, पर्यावरण एवं औद्योगिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अथवा राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कल्याण का विषय हो, सभी विषयों पर अपनी अभिरूचि प्रदर्शित करते हुये लोक कल्याण के प्रति वचनबद्धता स्थापित की ।

वर्तमान सत्र के अंतिम दिनों में नक्सलियों द्वारा पुलिस कैम्प पर हमले में 55 पुलिस कर्मियों की मौत से सम्पूर्ण सदन स्तब्ध रह गया । किन्तु इस अवसर पर भी प्रतिपक्ष एवं पक्ष के सदस्यों ने राजनैतिक प्रतिबद्धताओं को महत्व नहीं देते हुये अपने प्रदेश एवं प्रदेश की दो करोड़ जनता की भावना का सम्मान एवं समस्या के हल के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करते हुये सदन में घटना की चर्चा के दौरान रचनात्मक ढंग से अपने विचार व्यक्त किये और पूरे सदन ने नक्सलवाद को समाप्त करने के अपने दृढ निश्चय को व्यक्त किया । प्रदेश की नक्सल समस्या के प्रति सम्पूर्ण सदन का एकमतीय रचनात्मक रूख निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है ।

इस अवसर पर सभा ने मृतकों के सम्मान मे 5 मिनट के लिये अपनी कार्यवाही भी स्थगित की ।

छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा राष्ट्रकुल संसदीय संघ का सदस्य है । प्रत्येक मार्च का द्वितीय सोमवार राष्ट्रकुल दिवस के रूप में समस्त राष्ट्रकुल देशों में मनाया जाता है । इस अवसर पर राष्ट्रकुल संगठन का संदेश **सम्मान भिन्नता का, संवर्धन सद्भाव का** सभा में आसंदी से वाचन किया गया और विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को संसदीय व्यवस्था एवं संसदीय प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिये उन्हें आमंत्रित कर सभा की कार्यवाही दिखाई गई ।

वर्तमान सत्र में भिलाई, जामुल, बस्तर एवं कुम्हारी की नगर निगमों, नगर पालिका के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं अनेक शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं के साथ ही लगभग 3500 दर्शकों ने भी कार्यवाही देखी और संसदीय व्यवस्था के प्रति अपने विश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया ।

माननीय सदस्यों को उनके कार्य निष्पादन में सुविधा की दृष्टि से लेपटाप उपलब्ध कराये गये हैं और इसके साथ ही विधान सभा की वेबसाइट भी विकसित कर सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गई है । विधान सभा की गतिविधियों एवं कार्यवाहियों को माननीय सदस्यों एवं आम जन तक शीघ्रता से पहुंचाने के उद्देश्य से सभा के प्रतिदिन की कार्यसूची, सभा में चर्चा हेतु स्वीकृत तारांकित प्रश्न, सभा की कार्यवाही का संक्षिप्त कार्यवाही विवरण एवं सदस्यों के लिये विभिन्न सूचनायें सम्मिलित कर परिवहित किया जाने वाला पत्रक भाग-1 वेबसाइट पर प्रति दिन अपलोड किये जाते हैं। विधान सभा की इस वेबसाइट में माननीय सदस्यों के जीवन परिचय, सभा के द्वारा पारित विधेयक, नियमावली, वेतन भत्ते सहित अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यवाहियां अपलोड कर दी गई है । फलस्वरूप विधान सभा की वेबसाइट वर्तमान सत्र में 1726 विजिटर्स के द्वारा सर्च की गई और इन 1726

में से 503 नये विजिटर्स हैं । विगत 30 दिनों में वेबसाइट के 3325 पृष्ठ विजिटर्स के द्वारा देखे गये और वेबसाइट की स्थापना के दिन से अब तक 14747 विजिटर्स ने 17383 पेज देखें ।

मैं यहां यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि विधान सभा की वेबसाइट से छत्तीसगढ़ राज्य सहित राष्ट्रपति भवन, संसद एवं अन्य विधान सभाओं की वेबसाइट को भी लिंक कर दिया गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि इस वेबसाइट की परिकल्पना, विकसित करना एवं प्रतिदिन इसे उद्यतन करने का कार्य विधान सभा सचिवालय द्वारा ही किया गया है ।

प्रतिवर्ष बजट सत्र के दौरान उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं । सत्र की सत्रावधि कम होने के कारण यह आयोजन इस सत्र में नहीं किया गया । यह आयोजन अब आगामी मानसून सत्र में सम्पादित होगा । मैं अब इस सत्र में सम्पादित कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से अवगत करा रहा हूं :-

इस सत्र के कुल 18 कार्य दिवसों में कुल लगभग 111 घंटे चर्चा हुई । 18 बैठकों में से 14 बैठकों में 135 प्रश्न सभा में पूछे गये, जिनके उत्तर शासन द्वारा दिये गये । इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 10 प्रश्नों का रहा । इस सत्र में 1430 तारांकित एवं 782 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । इस प्रकार कुल 2212 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, इस सत्र में कुल 56 स्थगन की सूचना प्राप्त हुई । शून्यकाल की 77 सूचनायें जिनमें 33 सूचनाएं ग्राह्य और 44 सूचनाएं अग्राहय रही । वर्तमान सत्र में 307 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 92 ग्राह्य व 215 अग्राह्य रही । 40 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये, जिनमें से 9 संकल्प ग्राह्य हुए तथा एक संकल्प स्वीकृत हुआ एवं दो अस्वीकृत हुए । इस सत्र में 3 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और 3 विधेयकों पर चर्चा हुई तथा 3 पारित हुए ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 4 घंटे 7 मिनट, वर्ष 2007-08 के बजट की अनुदान मांगों पर 50 घंटे 21 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 4 घंटे 40 मिनट चर्चा हुई ।

वर्तमान सत्र में लोक लेखा समिति के 14 प्रतिवेदन, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, नियम समिति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के एक-एक प्रतिवेदन तथा विशेषाधिकार समिति के दो प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुये । इनके अतिरिक्त शासन के समस्त विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा महालेखाकार का वर्ष 2005-06 का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुआ ।

वर्तमान सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये महिला एवं बाल कल्याण विभाग में नमक के क्रय एवं स्कूल शिक्षा विभाग के गैस चूल्हों के क्रय के संबंध में सदस्यों की भावना के अनुरूप दोनों प्रकरण प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित किये गये ।

बजट सत्र के संचालन में मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया ।

मैं इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष एवं सभापति तालिका के सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया ।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया ।

मैं छत्तीसगढ़ दूरदर्शन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रश्नकाल की कार्यवाही को रिकॉर्ड करके प्रति दिन प्रसारित किया । साथ ही छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का प्रसारण किया ।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं तथा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में रखी ।

मैं विधान सभा के सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया ।

सत्र के समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती है । आगामी सत्र जुलाई माह में संभावित है । तिथियों का निर्धारण यथा समय प्रस्तावित राष्ट्रपति के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुरूप किया जाएगा ।

अंत में हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिये कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ । धन्यवाद।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री भूपेश बघेल, सदस्य एवं श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किए ।

18. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई ।)

सांय 5.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।